राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

National Council for Teacher Education
(A Statutory Body of the Government of India)

सार्वजनिक सूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा 'विनियमन 2009' को मानक एवं मानदंड सहित दिनांक 31 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था । विनियमन के अनुसार राअशिप द्वारा मान्यता प्राप्त सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने वेबसाईट पर सभी वांछित सूचनायें प्रदर्शित करें जिसे राअशिप वेबसाईट से हायपरलिंक किया जाएगा ।

राअशिप द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों के कार्यकरण की नियमित निगरानी भी करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये संस्थान अधिसूचित मानकों एवं मानदंडों के अनुरुप ही कार्य करें । अतः राअशिप द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि राअशिप की वेबसाईट www.ncte-india.org पर उपलब्ध निर्धारित "संस्थान पोर्टल/स्व-प्रकटीकरण" एवं "अध्यापक प्रशिक्षण पोर्टल" प्रपत्रों में उनके पास उपलब्ध समस्त आधारभूत और अनुदेशात्मक सुविधाओं की जानकारी दिनांक 25 मार्च, 2010 से 45 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

स्व प्रकटीकरण प्रपत्र में उक्त सूचना को ऑनलाईन प्रस्तुत करने के पश्चात् सात दिवस की अवधि के अंदर उसकी हार्ड कॉपी को एवं इसके साथ राअशिप की वेबसाईट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में रु. 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र, जिसमें यह वचन दिया गया हो कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना सत्य है, जिसके असत्य पाये जाने की स्थिति में संस्थान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे, राअशिप के संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें ।

इस सार्वजनिक सूचना के अनुपालन की अवज्ञा की दशा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा-17 के अन्तर्गत संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई के पात्र होंगे ।

सदस्य सचिव